

उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय
हुक्म जारी हुआ

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज

नम्बर व ता.
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

6 12
25

पत्रावली पेश की। वकील कादी उप.।
पत्रावली वाले रिपोर्ट नक्काह में
दिनांक 28-1-2025 को पेश है।

28 1
25

पत्रावली पेश की। वकील कादी उप.।
तहसीलदार, मांगरोल से रिपोर्ट प्राप्त है।
तहसीलदार, मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार वापनी
का नाम बदाम बाई एवं बरमा बाई के स्थान
पर ब्रह्म बाई पंज करने की अनुमति दी गई
है। अतः तहसीलदार, मांगरोल की रिपोर्ट,
राजस्व रिकार्ड मय पन्नावेजाह के आधार पर
ग्राम ईश्वरपुरा की जमाबंदी खाता संख्या
69 एवं ग्राम सिंगोला की जमाबंदी खाता
संख्या 37 में वापनी का नाम कुमरा
ब्रह्मा एवं बदाम बाई पंज है। वाद पत्र में
ग्राम सिंगोला के खाता संख्या 37 में नाम पुराने
करने का निवेदन किया है। अतः ग्राम सिंगोला
की जमाबंदी खाता संख्या 37 में वापनी का
नाम बदाम बाई के स्थान पर ब्रह्म बाई
राजस्व रिकार्ड में पंज करने हेतु तहसीलदार
मांगरोल को आदेश दिए जा रहे हैं। पत्रावली
फैसल कुमार चौकर नम्बर से कम ही जावे।
निर्णय आज दिनांक 28-1-2025 को मरे इजलास
हुनवा गया।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल